प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 मार्च 2024

विषय:- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बबलू उर्फ मिथलेश सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1650/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12-01-2024) दिनांक-16-01-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बबलू उर्फ मिथलेश सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह, खलीलपुर, थाना-फेकना, जनपद-बलिया का निवासी है। बन्दी द्वारा (1) पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 06-01-2004 को तमंचे से गोली मारकर अनूप कुमार श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। (2) दिनांक 26-05-2004 को ठेकेदारी के कार्य हेतु जा रहे व्यवसायी अजय कुमार अग्रवाल पुत्र शंकर अग्रवाल का फिरौती के लिये अपने 01 सहअभियुक्त के साथ अपहरण कर लिया गया। (3) जेल में निरूद्ध हरीश पासवान ने बिलासपुर में 01 व्यक्ति की हत्या कराने के लिये 03 लाख रूपये दिये, तभी योजना बनाकर हत्या करने के उद्देश्य से दिनांक 10-04-2018 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर शंकर प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-384/2004 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 506(2) के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-01, बलिया के आदेश दिनांक 19-12-2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-111/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-6, बलिया के आदेश दिनांक 19-05-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (3) सत्र परीक्षण संख्या-35/2020 में भा0द0वि0 की धारा-302/120बी,201/120बी एवं 25(1ख)(क) के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0) के आदेश दिनांक 06-12-2023 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 15.12.2023 तक बन्दी की आयु 53 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 15.12.2023 तक 17 वर्ष 08 माह 25 दिन अपरिहार तथा 20 वर्ष 08 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं द्वितीय केस में दिनांक 15.12.2023 तक 17 वर्ष 03 माह 23 दिन अपरिहार तथा 18 वर्ष 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं तृतीय केस में दिनांक 15.12.2023 तक 02 वर्ष 03 माह 08 दिन अपरिहार तथा 02 वर्ष 03 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी की आयु कम होने व अपराध कारित करने में सक्रिय होने, बन्दी के बाहर आने पर आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय होने की सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा को देखते हुये रिहा किया जाना उचित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी बबलू उर्फ मिथलेश सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह की फार्म ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया (1) पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 06-01-2004 को बन्दी ने तमंचे से गोली मारकर अनूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कुमार श्रीवास्तव नामक व्यकित की हत्या कर दी। (2) दिनांक 26-05-2004 को ठेकेदारी के कार्य हेतु जा रहे व्यवसायी अजय कुमार अग्रवाल पुत्र शंकर अग्रवाल का फिरौती के लिये बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ अपहरण कर लिया। (3) जेल में निरूद्ध हरीश पासवान ने बिलासपुर में 01 व्यक्ति की हत्या कराने के लिये 03 लाख रूपये दिये, तभी योजना बनाकर बन्दी ने हत्या करने के उद्देश्य से दिनांक 10-04-2018 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर शंकर प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा 03 विभिन्न वादों में जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा 03 अन्य विचाराधीन वाद भी लम्बित है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बबलू उर्फ मिथलेश सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बबलू उर्फ मिथलेश सिंह (बन्दी संख्या-329/21) पुत्र श्री हरदेव सिंह, निवासी जनपद-बलिया को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-25/2024/96(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।

2- अधीक्षक, जिला कारागार कानपुर नगर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-12/2022 बब्लू उर्फ मिथलेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-25/2024/96/22-2-2024-17(48)/2024

दिनांक 11 मार्च, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बबलू उर्फ मिथलेश सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह, खलीलपुर, थाना-फेकना, जनपद-बलिया का निवासी है। बन्दी द्वारा (1) पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 06-01-2004 को तमंचे से गोली मारकर अनूप कुमार श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। (2) दिनांक 26-05-2004 को ठेकेदारी के कार्य हेतु जा रहे व्यवसायी अजय कुमार अग्रवाल पुत्र शंकर अग्रवाल का फिरौती के लिये अपने 01 सहअभियुक्त के साथ अपहरण कर लिया गया। (3) जेल में निरूद्ध हरीश पासवान ने बिलासपुर में 01 व्यक्ति की हत्या कराने के लिये 03 लाख रूपये दिये, तभी योजना बनाकर हत्या करने के उद्देश्य से दिनांक 10-04-2018 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर शंकर प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-384/2004 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 506(2) के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-01, बलिया के आदेश दिनांक 19-12-2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-111/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-6, बलिया के आदेश दिनांक 19-05-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (3) सत्र परीक्षण संख्या-35/2020 में भा0द0वि0 की धारा-302/120बी,201/120बी एवं 25(1ख)(क) के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0) के आदेश दिनांक 06-12-2023 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 15.12.2023 तक बन्दी की आयु 53 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 15.12.2023 तक 17 वर्ष 08 माह 25 दिन अपरिहार तथा 20 वर्ष 08 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं द्वितीय केस में दिनांक 15.12.2023 तक 17 वर्ष 03 माह 23 दिन अपरिहार तथा 18 वर्ष 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं तृतीय केस में दिनांक 15.12.2023 तक 02 वर्ष 03 माह 08 दिन अपरिहार तथा 02 वर्ष 03 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी की आयु कम होने व अपराध कारित करने में सक्रिय होने, बन्दी के बाहर आने पर आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय होने की सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा को देखते हु ये रिहा किया जाना उचित नहीं होने की आख्या अंकित करते हु ये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी बबलू उर्फ मिथलेश सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह की फार्म ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया (1) पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 06-01-2004 को बन्दी ने तमंचे से गोली मारकर अनूप कुमार श्रीवास्तव नामक व्यकित की हत्या कर दी। (2) दिनांक 26-05-2004 को ठेकेदारी के कार्य हेतु जा रहे व्यवसायी अजय कुमार अग्रवाल पुत्र शंकर अग्रवाल का फिरौती के लिये बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ अपहरण कर लिया। (3) जेल में निरूद्ध हरीश पासवान ने बिलासपुर में 01 व्यक्ति की हत्या कराने के लिये 03 लाख रूपये दिये, तभी योजना बनाकर बन्दी ने हत्या करने के उद्देश्य से दिनांक 10-04-2018 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर शंकर प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा 03 विभिन्न वादों में जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा 03 अन्य विचाराधीन वाद भी लम्बित है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बबलू उर्फ मिथलेश सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in